



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-659

New Delhi: 11.09.2020

Sh. Narendra Singh
S/o Late Dheeraj Singh
Village- Jamal Pur
Post-Dankaur Railway Station
Jila-Gautam Budh Nagar
UP-203202
Mobile-9313111054

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 20.08.2020 received in this office on 28.08.2020.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

(S.K. Roy)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707

DA: 01 sheet

डिप्टी जी०एम०/एडमिन (पी०आई०ओ०)

कॉरपोरेट ऑफिस डीएफसीसीआईएल
प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

सन्दर्भ: निगम कार्यालय का पत्रांक संख्या-2020/एचक्यू/एडमिन/आरटीआई-659 दिनांक:31.08.2020।

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना की जानकारी निम्नवत है।

कम० स०	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	डीएफसीसीआईएल के द्वारा जिला बुलन्दशहर (उ०प्र०) के चोला रेलवे स्टेशन के पास स्थित गाँव समसपुर की आबादी का निस्तारण किया है कृप्या बताये कि वहाँ के निवासियों को आबादी का क्या रेट दिया गया है एवम् इसके अलावा क्या-क्या सुविधाए दी गयी है व बिल्डिंग स्ट्रेक्चर का रेट कौन पी.डब्ल्यू.डी शिड्यूल 2015 से या अन्य पी.डब्ल्यू.डी शिड्यूल से दिया गया है?	डीएफसीसीआईएल परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ग्राम समसपुर में डीएफसीसीआईएल संरक्षण में आ रही आबादी भूमि के प्रतिकर का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय दिनांक 06.12.2018 के अनुसार रू० 2600.00 प्रति वर्ग मीटर की दर को दो गुना कर 100 प्रतिशत सोलेशियम के साथ भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु सहायता राशि का भुगतान डीएफसीसीआईएल परियोजना हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत पात्रता श्रेणी (1 जनवरी 2015 से प्रभावी) क द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रावधान के अनुसार किया गया है। संरचनाओं एवं भवनों के प्रतिकर का भुगतान सक्षम प्राधिकारी कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता के माध्यम से बी.एस.पी. डब्ल्यू.डी. के आधार पर मूल्यांकन करवाकर किया गया है।
2	डीएफसीसीआईएल के द्वारा जिला गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०) के बोडाकी रेलवे स्टेशन पर स्थित बोडाकी गाँव की आबादी का निस्तारण किस प्रकार किया है कृप्या बताये?	डीएफसीसीआईएल द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ग्राम चमरावली बोडाकी में डीएफसीसीआईएल संरक्षण में आ रही भूमि को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की स्वीकृति नीति के अनुसार काश्तकारों से परस्पर सहमति के आधार पर क्रय करके डीएफसीसीआईएल को उपलब्ध किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा 2.2717 हे० भूमि पर विवाद एवं सम्बन्धित काश्तकारों के साथ परस्पर सहमति नही बन पाने के कारण ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर उक्त भूमि का अधिग्रहण रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/डिप्टी कलेक्टर गौतमबुद्ध नगर के माध्यम से किया जा रहा है।


(महावीर सिंह)
 उप. जनसूचना अधिकारी/
 उप. परियोजना प्रबंधक/विद्युत
 डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
 मेरठ।